स्पीड पोस्ट
Telephone: 0522-2341102
Telefax: 0522-2355211
E-mail: dco-utp.rgi@censusindia.gov.in

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय / MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, UTTAR PRADESH, LUCKNOW
विविध प्रशासन अनुभाग
लेखराज मार्केट–III इन्दिरा नगर लखनऊ–226016
Lekhraj Market-III, Indira Nagar, Lucknow-226016

पत्रांक: एई / डी.सी.ओ.–यू.पी. / ए– 8450 दिनांक: 4/12/09

सेवा में,

सम्पादक,
दैनिक जागरण समाचार पत्र
लखनऊ

विषय: विज्ञापन प्रकाशित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया संलग्न विज्ञापन दैनिक जागरण समाचार पत्र के केवल लखनऊ अंक में दिनांक 06.12.2009 को 10 X 8 सेन्टीमीटर आकार में डी.ए.वी.पी. की दर पर प्रकाशित करने का कष्ट करें। विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरांत विज्ञापन की कटिंग सहित देयक दो प्रतियों में भुगतान की कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि।

(आर0एस0मीना)
उप निदेशक(प्रशा0)

पृष्ठांकन: एई / डीसीओ–यूपी / ए– 8450 तददिनांक: 4/12/09
प्रतिलिपि: श्री ए.के. सामल, संयुक्त निदेशक, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली को पत्र संख्या: 9 / 34 / 2009–सी.डी (सेन) दिनांक 16.11.2009 के सन्दर्भ में विज्ञापन एवं टर्म्स एवं कण्डीशन की साफ्ट कापी सहित भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के वेबसाइट पर डालने हेतु।

(आर0एस0मीना)
उप निदेशक(प्रशा0)

F:DCO-UP\Umesh\Ash

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, U.P.
Lekhraj Market-III, Indira Nagar, Lucknow-226016
Telephone: 0522-2341102

Tender Notice No. GA/DCO-UP/A- 8400 **Date: 4.12.09**

Tenders are invited from intending firms/paper Mills for disposal of 2001 Census Records weighing approximately 341 tones (With Corregated Boxes) on "as is where is basis". The selected firms/paper Mills shall be required to convert the records into pulp in any paper Mill at its own cost. The firms/paper Mills are required to submit their sealed tenders indicating their best rates per quintal along with the EMD (Earnest Money Deposit) of Rs.1,00,000/-(Rs. One Lakh only) in the form of Demand Draft/Pay Order, drawn from any nationalized bank in favour of Drawing and Disbursing Officer, Directorate of Census Operations, U.P. Lucknow, latest by dated 30-12-2009(3.00 pm) by Registered Post only. The tenders shall be opened on the same day at 3.30 pm in presence of the representatives of the firms, if any.

The detailed tender notice containing all terms and conditions may be obtained after the Payment of Rs.100/- from office of the Directorate or to be downloaded from the website "**www.censusindia.gov.in**". In case of downloading Terms and conditions, Demand Draft/Pay Order of Rs.100/- has to enclosed in favour of DDO, DCO-UP, Lucknow.

This office reserves the right to reject any or all quotations without assigning any reason therefore.

(R.S.Meena)
Dy. Director(Admin.)

F:\DCO-UP\Umesh\Ashish

पत्रांकः एई/डीसीओ–यूपी/ए– 8404
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश
विविध प्रशासन अनुभाग

लेखराज मार्केट–III, इन्दिरा नगर
लखनऊ–226016
दिनांकः 4/12/09

रद्दी के निस्तारण से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें

1. निविदा के साथ किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रू0 1,00,000/– (रूपये एक लाख) का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर अर्नेस्ट मनी के रूप में जो आहरण एवं वितरण अधिकारी, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य है।
2. निस्तारित किए जाने वाले अभिलेखों जोकि आवासीय परिसर सेक्टर, 'डी' अलीगंज, लखनऊ एवं लेखराज डालर भवन, इन्दिरा नगर, लखनऊ में गत्ते के बाक्सों में पॉलिथीन की थैलियों में रखे हुए हैं, का अनुमानित वजन (गत्ते के बाक्स एवं पॉलिथीन की थैलियों सहित) 341 टन है। निविदादाता को अपने लेटर पैड पर गत्ते के बाक्स एवं पॉलिथीन की थैलियों सहित जनगणना अभिलेखों के लिए प्रति कुन्तल की दर देनी होगी। इस नियम एवं शर्त पर हस्ताक्षर करके निविदा के साथ जमा करना होगा।
3. जिस पेपर मिल मे अभिलेखों को गलवाया जायेगा, उस मिल का नाम भी निविदा मे अंकित करना अनिवार्य है।
4. अधिकतम दर वाले निविदादाता को रू0 100/– के स्टैम्प पेपर पर इकरारनामा करना होगा। इकरारनामा का प्रारूप निदेशालय द्वारा दिया जाएगा।
5. निविदा स्वीकृत होने तथा इकरारनामा करने के पश्चात् निविदा दाता को रू0 2,50,000/– (रूपये दो लाख पचास हजार) की राशि निदेशालय में अग्रिम रूप में जमा करनी होगी।
6. निविदादाता प्रतिदिन तौलाई से पूर्व खाली ट्रक का वजन इलेक्ट्रानिक धर्मकांटा पर निदेशालय द्वारा नामित अधिकारियों के समक्ष कराएगा तथा ट्रक पर अभिलेखो (गत्ते के बाक्स सहित) को लदवाने के बाद भरे ट्रक का पुनः इलेक्ट्रानिक धर्मकांटा पर निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष तौलाएगा। अभिलेखों की तौलाई आवश्यकतानुसार अभिलेखागार मे कांटा लगवाकर भी की जा सकती है।
7. एक दिन मे रू0 2,50,000/– (रूपये दो लाख पचास हजार) से अधिक मूल्य की तौलाई नहीं होगी तथा प्रतिदिन तौलाई के आधार पर उठाए गए अभिलेखो (गत्ते के बाक्स सहित) का मूल्य दूसरे दिन प्रातः कार्यालय मे जमा करने के पश्चात् पुनः तौलाई शुरू की जाएगी।
8. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के एक महीने (30 दिन) के अन्दर अभिलेखो (गत्ते के बाक्स सहित) को कार्यालय समय मे तौलवाकर उठवाना होगा।

9. यदि निविदादाता निश्चित तिथि तक अभिलेखों (गत्ते के बाक्स सहित) तौलवाकर ले जाने में असफल होता है तो विभाग द्वारा नई तिथि निश्चित की जाएगी। निविदादाता नई तिथि तक अभिलेखों (गत्ते के बाक्स सहित) को तौलवाकर ले जा सकता है। इस स्थिति में पिछली निर्धारित तिथि से अभिलेखों (गत्ते के बाक्स सहित) का मूल्य 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से बढ़ाकर वसूल किया जाएगा।

10. अभिलेखों (गत्ते के बाक्स सहित) केवल सफल निविदादाता को दिए जाएंगे। किसी भी दशा में निविदादाता के नाम में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निविदादाता यदि चाहे तो अपने प्रतिनिधि को रद्दी तौलवाने/ले जाने को अधिकृत कर सकता है इसके लिए प्राधिकार–पत्र देना होगा। ऐसी दशा में अधिकार पत्र के सही होने के सम्बन्ध में निविदादाता को कार्यालय को संतुष्ट करना होगा। अधिकार पत्र के आधार पर माल दिये जाने की दशा में पूरी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी प्रकार की गलत डिलिवरी होने के सम्बन्ध में कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

11. ट्रक लाने, लोडिंग कराने अथवा ट्रक ले जाते समय किसी भी प्रकार की भवन अथवा गोदाम की क्षति होने पर उसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।

12. उठाए गए अभिलेखों को निविदादाता को निदेशालय के द्वारा नामित राजपत्रित अधिकारी की देखरेख मे पेपर मिल मे गलवाना होगा तथा अभिलेखों को गलवाने के पश्चात् प्रमाण–पत्र कार्यालय में जमा करना होगा। इन अभिलेखों को अन्य किसी प्रयोजन में प्रयोग करना जनगणना अधिनियम–1948 के अन्तर्गत वर्जित है।

13. अभिलेखों (गत्ते के बाक्स सहित) की लोडिंग/अनलोडिंग व तौल कराने पर होने वाले व्यय तथा बिक्री पर लगने वाले समस्त करों, यदि कोई हो, का वहन निविदादाता को करना होगा।

14. निविदा के साथ निविदादाता को अपने स्थायी लेखा संख्या (PAN) एवं कर पहचान संख्या (TIN) अंकित करना होगा तथा उक्त दोनों कार्डो की छायाप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य है। शर्त का पालन न करने पर निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

15. असफल निविदादाता को अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा की गयी धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

16. निस्तारित किए जाने वाले अभिलेखों का निरीक्षण निविदादाता कार्यालय समय में किसी भी दिन कर सकते है।

17. निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 30.12.2009 को अपराह्न 3.00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदाएं उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं, यदि कोई हों तो के सम्मुख खोली जाएगी।

18. निविदा में दी गई शर्तो का उल्लघन करने पर जमानत के रूप में जमा की गई धनराशि जब्त की जा सकती है।

19. इस मामले में किसी प्रकार का विवाद होने पर निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का निर्णय मानने के लिए निविदादाता बाध्य होगा।

20. बिना कारण बताए एक या सभी निविदाओं को सक्षम अधिकारी को निरस्त करने अथवा माल को देने के पूर्व बिक्री सम्बन्धी आदेश को वापस लेने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

(आर0एस0मीना)
उप निदेशक(प्रशा0)